PAGE 1 OF 5	अभियोजन साक्षी संख्याः 03

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1607/2020		
राज्य	**बनाम**	रवि गुप्ता

नाम साक्षीः अरुण कुमार गुप्ता पुत्र श्री गुलाब चन्द्र गुप्ता	अपराध संख्या-524/2020
उम्रः लगभग 37 वर्ष, पेशाः टीचर (प्राइवेट स्कूल)	धारा- 498A, 304B IPC & 3/4 D.P. ACT
वर्तमान पता साक्षीः किदवई नगर, गुरसहायगंज, जनपद-कन्नौज	थाना-रसूलाबाद, कानपुर देहात।

दिनांकः-20.01.2025

मैं **साक्षीः अरुण कुमार गुप्ता पुत्र श्री गुलाब चन्द्र गुप्ता, उम्रः लगभग 37 वर्ष, पेशाः टीचर (प्राइवेट स्कूल), वर्तमान पता साक्षीः किदवई नगर, गुरसहायगंज, जनपद-कन्नौज** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि....

1. हम दो भाई व तीन बहन थे जिसमें मेरी बहन रीना मुझसे बड़ी थीं। मेरी बहन रीना की शादी रवि गुप्ता निवासी रसूलाबाद के साथ दान दहेज देकर हिन्दू रीति रिवाज से दिनांक 18.06.2018 को संपन्न हुई थी।

2. शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरी बहन रीना के ससुरालीजन पति रवि गुप्ता, सास रानी देवी, देवर गोविन्द, ननद शिवानी व रवि के ताऊ के लड़के प्रह्लाद उर्फ पप्पू भईया अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते थे। उक्त ससुरालीजन एक ही साथ रहते थे। मेरी बहन रीना के द्वारा अतिरिक्त दहेज दिये जाने से मना करने पर उक्त लोग उसके साथ मारपीट करते थे। मेरी बहन रीना हमलोगों को अतिरिक्त दहेज की मांग व उसके साथ मारपीट किये जाने की बात फोन से बताती थी और जब मायके आती थी तब भी बताती थी। हमलोगों ने कई बार उक्त ससुरालीजनों को समझाने का प्रयास किया था किन्तु उक्त ससुरालीजन नहीं माने थे।

3. हमलोगों ने साठ हजार रुपये अपनी बहन रीना की ससुराल जाकर ससुरालीजन को दिये थे। कुछ दिन सही रहने के बाद उक्त ससुरालीजन फिर से मेरी बहन रीना को प्रताड़ित करने लगे थे। एक बार उक्त ससुरालीजनों ने मेरी बहन रीना के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया था तब वह किसी तरह भागकर हमलोगों के यहाँ (मायके) आ गयी थी।

4. कुछ दिन मायके रहने के बाद प्रह्लाद सिंह के कहने पर हमलोगों ने अपनी बहन रीना को उसकी ससुराल भेज दिया था और बैंक के माध्यम से दस हजार रुपये रवि गुप्ता के बैंक खाते में मेरे पिता जी ने ट्रांसफर किये थे।

5. दिनांक 09.07.2020 की शाम को लगभग पाँच बजे मेरे घर के फोन पर बहन रीना ने फोन करके बताया था कि पति रवि गुप्ता व अन्य ससुरालीजन मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं और अतिरिक्त दहेज में पैसे की मांग कर रहे हैं। माँ ने यह बात हमलोगों को बतायी थी। भाई संजय गुप्ता के घर आ जाने पर हमलोगों ने फोन लगाया था लेकिन फोन स्विच आफ जा रहा था। रात लगभग नौ बजे रवि गुप्ता का फोन आया था कि रीना की तबियत खराब हो गयी है और मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। करीब आधे घंटे बाद किसी अंजान व्यक्ति का फोन आया था जिसने बताया था कि रीना की मृत्यु हो गयी है और इसके बाद उसका फोन बंद हो गया था।

6. हमलोग किराये की गाड़ी से लगभग ग्यारह बजे रात को रसूलाबाद पहुँचे थे और वहाँ हमलोगों ने देखा कि मेरी बहन रीना की ससुराल वाले घर में ताला लगा हुआ है। अगल बगल पूछताछ की तो पता नहीं चल पाया। हमलोग इसके बाद थाने पहुँचे तब पता चला कि रीना का शव सीएचसी अस्पताल में रखा है। हमलोग सीएचसी अस्पताल रसूलाबाद पहुँचे तो वहाँ पर मेरी बहन रीना मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उसके साथ कोई भी ससुरालीजन मौजूद नहीं था।

उपरोक्त ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मेरी बहन रीना की हत्या कर दी थी।

7. मेरी बहन रीना के शरीर पर कई चोटें थीं। अगले दिन पुलिस ने पंचनामा की कार्यवाही मेरे सामने की थी। पंचनामा की कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम के बाद हमलोगों ने अपनी बहन रीना के शव का अंतिम संस्कार किया था।

8. इस घटना की रिपोर्ट मेरे पिता गुलाब चन्द्र ने लिखायी थी। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्तगण

9. मेरी बहन रीना की दूसरी शादी अभियुक्त रवि गुप्ता से हुई थी। मेरी बहन की पहली शादी कमालगंज के सर्वेश से हुई थी। मेरी बहन रीना पहली वाली ससुराल लगभग एक माह तक रही थीं। एक माह बाद मैं अपनी बहन रीना को अपने घर ले आया था। इसके बाद मेरी बहन रीना दोबारा पहली वाली ससुराल में नहीं गयी थी। पहले पति से मेरी बहन रीना का तलाक हुआ था। तलाक का मुकदमा चला था। वहाँ से सारा सामान लेकर नहीं आये थे।

10. दिनांक 18.06.2018 को मैंने अपनी बहन रीना की शादी रवि गुप्ता से की थी। यह शादी मन्दिर में हुई थी और बहन रीना की विदाई घर से हुई थी। इसके बाद मेरी बहन रीना अभियुक्त रवि गुप्ता के साथ रहने लगीं। लगभग एक साल बाद मेरी बहन रीना को एक बच्चा हुआ था। मारपीट की वजह से इस बच्चे की मृत्यु समय से पहले हो गयी थी। जब बच्चा पैदा होने के बाद वो मर गया उसके बाद खबर गयी तब मेरी माँ आयी थीं। मेरी माँ लगभग सप्ताह भर रही थी लेकिन निश्चित रुप से याद नहीं कि कितने समय तक रुकी थीं।

11. जब दिनांक 11.05.2020 को मेरी बहन रीना का आपरेशन राजावत अस्पताल अकबरपुर कानपुर देहात में हुआ था तब मेरी माँ आयी थीं। उस समय मेरी बहन गर्भावस्था में थी। मारपीट की वजह से मेरी बहन रीना का बच्चा पेट में ही मर गया था और इसी का आपरेशन हुआ था। इस आपरेशन के बाद लगभग एक माह तक मेरी माँ रुकी थीं। मुझे याद नहीं है कि मेरी माँ को छोड़ने कौन गया था।

12. मेरी बहन रीना का प्रेगनेन्सी के बाबत इलाज चलता था, डा० का नाम मुझे नहीं मालूम।

13. दिनांक 09.07.2020 की शाम लगभग साढ़े पाँच बजे बहन रीना ने घर वाले फोन में काल की थी और बताया था कि मेरी पति व अन्य ससुरालीजन मेरे साथ मारपीट कर रहे और प्रह्लाद मारने के लिए उकसा रहा था और कह रहा था कि इसको मार दो हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। मुझे वह फोन नम्बर याद नहीं है जिससे मेरी बहन ने फोन किया था।

14. दिनांक 09.07.2020 की रात लगभग ग्यारह बजे हमलोग किराये की गाड़ी से रसूलाबाद बहन की ससुराल पहुँचे थे। अपने घर से हमलोग लगभग साढ़े सात-आठ बजे चले थे। इसके बाद हमलोगों ने अपनी एक बहन प्रियंका गुप्ता व उनके पति को साथ लेकर बहन की ससुराल रसूलाबाद गये थे। हमलोग तिर्वा में लगभग आधे- पौने घंटे रुके थे।

15. अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग ससुरालीजन कर रहे थे तब हमलोगों ने उन्हें साठ हजार रुपये दिये थे।

16. अतिरिक्त दहेज की मांग व मारपीट को लेकर हमलोगों ने कोई प्रार्थना पत्र किसी भी थाने में नहीं दिया था।

17. हमलोग अपने घर से सीधे रसूलाबाद आकर अपनी बहन की ससुराल गया था, जहाँ पर ताला बंद था। आसपास पता किया था, कुछ पता न चलने पर हमलोग थाने गये थे। थाने से पता चला था कि तुम्हारी बहन का शव सीएचसी में रखा हुआ है। हमलोग जब सीएचसी पहुंचे थे तो वहाँ पर कोई भी ससुरालीजन मौजूद नहीं था। मेरी बहन का शव कपड़े से नहीं ढका था, घर वाले कपड़े पहने हुए थी।

18. जब मैंने अपनी बहन रीना के शव को देखा तो उसके शरीर पर पेट पर, पीठ पर, हाथ पैर चोटें थीं और गले में काला निशान पड़ा हुआ था, इसके अलावा कोई चोट नहीं थी। बहन रीना के शव को देखने के बाद हमलोगो की स्थिति ठीक नहीं थी जिस कारण हमलोग अगले दिन थाने गये थे। अगले दिन हमलोग लगभग नौ-दस बजे थाने गये थे। थाने में प्रार्थना पत्र मेरे पिता गुलाब चन्द्र ने दिया था और मैं उनके साथ में था। यह प्रार्थना पत्र हस्तलिखित था और किसी व्यक्ति से लिखवाया गया था। जिसने यह प्रार्थना पत्र लिखा था उसका नाम मुझे नहीं मालूम।

19. अभियुक्त रवि गुप्ता से शादी होने के बाद मेरी बहन रीना लगभग चार-पाँच बार अपने मायके आयी थी। रवि गुप्ता अपने साथ मेरी बहन रीना को लाता था और अपने साथ ही वापस ले जाता था।

20. पोस्टमार्टम के समय हमलोग पोस्टमार्टम हाउस गये थे। बहन का शव हमलोगों को शाम लगभग साढ़े पाँच-छह बजे मिला था। इसके बाद हमलोग शिवराजपुर स्थित खेरेश्वर घाट गये थे और यहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार करने में लगभग आठ बज गया था। इसके बाद हमलोग सीधे अपने घर गुरसहायगंज चले गये थे। बयान के लिए पुलिस ने बुलाया था तब हमलोग पुलिस के पास गये थे। घटना के लगभग तुरन्त बाद पुलिस ने बुलाया था किन्तु निश्चित समय मुझे याद नहीं है। घटना के बाद मैं व मेरे परिवार वाले कभी भी दोबारा रवि गुप्ता के घर नहीं गया था।

21. घटना के समय मेरे बहनोई का मकान दो मंजिल का बना हुआ था। हमारे बहन-बहनोई नीचे रहते थे और सास-देवर ऊपर रहते थे लेकिन खाना एक ही जगह बनता था।

22. पंचनामा मेरे सामने हुआ था। मुझे पढ़कर सुनाया गया था। पुलिस ने पंचनामा की कार्यवाही की थी। पंचनामा में मैंने हस्ताक्षर किये थे।

23. यह कहना गलत है कि मेरी बहन के गर्भ में बच्चा न ठहरता हो और इसी के चलते अवसाद में आकर मेरी बहन रीना ने आत्महत्या कर ली हो।

24. यह भी कहना गलत है कि रवि गुप्ता व उसके परिवारवालों ने कोई दहेज की मांग ना की हो क्योंकि रवि गुप्ता की यह दूसरी शादी मंदिर से हुई थी।

25. यह कहना गलत है कि मैं आज मा० न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।